राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त अधिकृत खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राज.

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक
03-02-2021

जी.एस.आर. 350 :– भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश जी. एस.आर.सं. 316(ई), दिनांक 20 जून, 1972, 425(ई) दिनांक 25 अक्टूबर, 1972 और 168(ई) दिनांक 13 मार्च, 1973, जी.एस.आर. 800 दिनांक 09 जून, 1978 तथा उद्योग एवं रसद मंत्रालय (नागरिक रसद/सहकारिता विभाग) एस.ओ. सं. 681(ई) दिनांक 30.11.1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त आदेश में,

खण्ड 3 के उप–खण्ड (1) के विद्यमान परन्तुक को तुरन्त प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

(संख्या एफ 17(45)खा.वि./न्याय/76–III)
राज्यपाल के आदेश से,

(अलका मीणा)
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव

क्रमांक : एफ 17(45)खा.वि./न्याय/76–III

जयपुर, दिनांक 03.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, खाद्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखा सामग्री विभाग, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग, जयपुर।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करवाने एवं गजट में छपवाने हेतु।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव